राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : प 1(57)स.नि.अ./प्रति.नियम/सू.अधि./2006/267 दिनांक : 27/2/2006

कार्यालय-आदेश

"सूचना का अधिकार" अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन के लिये फीस एवम् लागत निम्नांकित है :-

1. सूचना अभिप्राप्त करने के लिये अनुरोध दस रूपये आवेदन फीस के साथ होगा, जो समुचित रसीद के विरूद्ध नकद के प्राप्त रूपये या देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में होगा, जो राजस्थान आवासन मण्डल (लोक प्राधिकरण) को संदेय होगा ।

2. राजस्थान आवासन मण्डल (लोक प्राधिकरण) के मुख्यालय, वृत एवम् खण्ड कार्यालय मे तैयार कर कागज प्रतिलिपि (ए-4 या ए-3 आकार) प्रति पृष्ठ सामान्य दर तीन रूपये एवम् अत्यआवश्यक दर पाँच रूपये है। मुद्रित प्ररूप में दी गई सूचना के लिये उस प्रकाशन को नियत कीमत पर उपलब्ध करायें ।

3. बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत या कीमत ।

4. नमूनों (बानगी) या मॉडलों के लिये वास्तविक लागत या कीमत ।

5. डिस्केट या फ्लॉपी में सूचना उपलब्ध कराने के लिये प्रति डिस्केट/फ्लॉपी पचास रूपये लागत, कीमत है ।

6. अभिलेखों के निरीक्षण के लिये पहले घण्टे के लिये कोई फीस नहीं और प्रत्येक पश्चात्वर्ती घण्टे के लिये पाँच रूपये फीस है ।

उपरोक्तानुसार, नियुक्त नोडल अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत प्राप्त आवेदन की फीस एवम् लागत देय होने पर संग्रहित व वांछित दस्तावेज / नमूना / जानकारी आवेदक को उपलब्ध करवायें ।

मुख्यालय सहित वृत्त एवं खण्ड कार्यालयों में नोडल अधिकारी की नियुक्ति बोर्ड बैठक संख्या 188.5 दिनांक 18.08.2001 के निर्णय की अनुपालना मे प्रशासनिक आदेश क्रमांक 2392 दिनांक 06.11.2001 के तहत की जा चुकी है । आदेशों की अनुपालना में किसी भी प्रकार की कठिनाई अथवा असमंजस की स्थिति में प्रकरण लोक सूचना अधिकारी/सचिव अथवा आवासन आयुक्त महोदय, के समक्ष प्रस्तुत करें ।

सचिव
एवम्
लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख निजी सचिव-अध्यक्ष राज. आवा. मण्डल, जयपुर ।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राज. आवा. मण्डल, जयपुर ।
3. मुख्य अभियन्ता राज. आवा. मण्डल, जयपुर ।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता .... राज. आवा. मण्डल, जयपुर ।
5. सचिव/वित्तीय सलाहकार/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/निदेशक विधि/वरिष्ठ नगर नियोजक, राज. आवा. मण्डल, जयपुर ।
6. उप आवासन आयुक्त वृत्त ....
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड ....
8. लेखाधिकारी (भुगतान) राज. आवा. मण्डल, जयपुर ।
9. परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) उपखण्ड .... ।
10. समस्त प्रकोष्ठ, मुख्यालय ....
11. संबंधित /रक्षित पत्रावली ....

सचिव